संविधान संवाद शृंखला - 9

संविधान की उद्देशिका से परिचय

विकास संवाद

शीर्षक
संविधान की उद्देशिका से परिचय
(संविधान संवाद शृंखला - 9)

लेखक
सचिन कुमार जैन

संपादन सहयोग
पूजा सिंह, राकेश कुमार मालवीय,
रंजीत अभिज्ञान, पंकज शुक्ला

संस्करण - प्रथम

वर्ष - 2023

प्रतियां - 1000

सहयोग राशि
छात्रों के लिए - ₹ 20
नागरिकों के लिए - ₹ 25
संस्थाओं के लिए - ₹ 30

मुद्रक - अमित प्रकाशन

सज्जा - अमित सक्सेना

प्रकाशक
विकास संवाद
ए-5, आयकर कॉलोनी, जी-3, गुलमोहर कॉलोनी,
बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.) - 462039. फोन : 0755-4252789
ई-मेल : office@vssmp.org / www.vssmp.org
www.samvidhansamvad.org

संविधान की उद्देशिका से परिचय

भारतीय संविधान की उद्देशिका ही वह सूत्र है जो बताता है कि भारतीय समाज का स्वरूप किस तरह का होगा? यह बताती है कि किन मूल्यों को अपनाकर हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश के रूप में आगे का सफर तय कर पाएंगे। केशवानंद भारती के ऐतिहासिक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने उद्देशिका से जुड़ी एक बहस को हमेशा के लिए विराम देते हुए कहा कि यह हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान सभा में लंबी और गंभीर बहस के बाद उद्देशिका को स्वीकार किया गया। इसका एक-एक शब्द अपने आप में गहन अर्थ समेटे हुए है। अगर केवल उद्देशिका को आत्मसात कर लिया जाए तो हम दूसरों के लिए एक नजीर बन सकते हैं।

भारत के संविधान के मूल्यों का प्रतिपादन इसकी उद्देशिका से होता है। स्वतंत्रता के बाद दो घटनाओं ने भारत को बहुत प्रभावित किया था। उनमें एक थी सम्प्रदाय के आधार पर देश का विभाजन और दूसरी 565 रियासतों का भारत में विलय। उस समय एक अहम प्रश्न यह था कि भारत की व्यवस्था क्या होगी? वास्तव में इन दोनों घटनाओं का संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ रहा था। उन स्थितियों में संविधान बनाने वाले किस तरह का भविष्य बनाना चाहते थे? भारत की व्यवस्था और समाज का स्वरूप कैसा होगा, इसके संकेत उद्देशिका से ही मिलते हैं। यह समझना जरूरी है कि उद्देशिका किसी बौद्धिक चर्चा-प्रक्रिया का ही परिणाम नहीं है। इसके पीछे तार्किक बहस, राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं और संवेदनाओं की पृष्ठभूमि मौजूद है। यह भाग उद्देशिका के अर्थ और मंशा को समझने के उद्देश्य से रचा गया है।

उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है!

उद्देशिका ही भारत के संविधान का मूल भाव है। इस बात पर बहुत बहस हुई है कि भारत के संविधान की उद्देशिका भी संविधान का भाग और अभिन्न अंग है या नहीं?

बेरुबारी मुक़दमे (1960) के अंतर्गत (बेरुबारी यूनियन और भारत-पाकिस्तान समझौते और परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान से सम्बंधित प्रकरण) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आठ न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की बात/उनके विचारों को प्रतिबिंबित करती है। यह बताती है कि संविधान में दर्ज कई अनुच्छेदों को रखने के पीछे की मंशा क्या रही है? लेकिन उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग नहीं है।

लेकिन इसके बाद केशवानंद भारती मुकदमे में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि उद्देशिका भी भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। विधानों (कानूनों) की व्याख्या और संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या में उद्देशिका की महत्वपूर्ण भूमिका है।

संविधान का मूल विचार

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 13 नवम्बर 1946 को संविधान का लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पेश करते समय संविधान सभा में कहा था, 'हमने एक महान काम (संविधान लिखने का) उठा लिया है और इसमें हम सब लोगों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह इसलिए कि भारत का भविष्य, जिसकी कल्पना हमने की है। किसी ख़ास दल, सम्प्रदाय या प्रांत के लिए ही सीमित न होगा, बल्कि यह भारत की 40 करोड़ जनता (तत्कालीन जनसंख्या) के लिए होगा। हमेशा यह स्मरण रखें कि हम यहां किसी ख़ास दल के लिए काम करने नहीं आये हैं। हमें सारे हिन्दुस्तान का, यहां के 40 करोड़ नर-नारियों का सदा ख्याल रखना है। फिलहाल हम सब अपनी-अपनी सीमाओं में दल विशेष के हैं, चाहे इस दल के या उस दल के; और शायद अपने-अपने दलों के साथ काम करना जारी रखेंगे। फिर भी ऐसा मौका आता है कि हमें दलगत भावना से ऊपर उठना पड़ता है और सारी जाति या देश का-यहां तक कि कभी-कभी उस समूचे संसार का ख्याल रखना पड़ता है, जिसका यह देश भी एक महत्वपूर्ण भाग है। अब समय आ गया है कि जहां तक बन पड़े, हम व्यक्तिगत भावना और दलबंदी के झगड़ों से ऊपर उठकर अधिक से अधिक व्यापक, सहिष्णु और प्रभावकारी ढंग से उस महती समस्या पर विचार करें, जो आज हमारे सामने है, ताकि हम जो विधान बनाएं वह समस्त भारत के योग्य हो; सारा संसार स्वीकार करे कि हमने सचमुच महान कार्य का सम्पादन उसी योग्यता से किया, जिससे हमें करना चाहिए था।'

उद्देशिका में नैतिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत

आचार्य जे. बी. कृपलानी ने संविधान सभा में उद्देशिका पर चर्चा करते हुए 17 अक्टूबर 1949 को कहा था, 'लोकतंत्र में मानव समता का भाव निहित है। उसमें बंधुता का भाव निहित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अहिंसा के

महान सिद्धांत का भाव निहित है। जहां हिंसा है, वहां लोकतंत्र कैसे हो सकता है? लोकतंत्र की साधारण सी परिभाषा यह है कि सिर तोड़ने की अपेक्षा हम सिर गिनते हैं। लोकतंत्र के मूल में अहिंसा है। यदि हम लोकतंत्र का प्रयोग केवल एक विधि संबंधी संवैधानिक और औपचारिक योजना के रूप में करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि हम असफल होंगे। चूंकि हमने लोकतंत्र को संविधान के मूल में रखा है इसलिए मैं चाहता हूं कि समस्त देश लोकतंत्र के नैतिक, आध्यात्मिक और गहन भाव को समझ लें। यदि नहीं समझा तो हम उसी प्रकार असफल होंगे जैसे और लोग अन्य देशों में असफल हुए हैं। लोकतंत्र को स्वैरतंत्र (तानाशाही व्यवस्था) बना दिया और फिर उसको साम्राज्यतंत्र बना दिया और फिर एकतंत्र हो जाएगा।'

'राजनैतिक रूप से हम लोकतंत्रवादी हैं पर आर्थिक रूप से हम इतने वर्गों में विभाजित हैं कि इन वर्गों का भेद मिटाया नहीं जा सकता है। यदि हमको लोकतंत्रवादी बनना है तो आर्थिक स्थिति में भी ऐसा ही बनना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि आर्थिक लोकतंत्र का केवल यही अर्थ नहीं है कि वर्गभेद न रहे, कोई गरीब तथा अमीर न रहे; वरन यह कि यदि जनता दैवयोग से गरीब है तो राज्य स्वयं अपना जीवन इस रीति से बिठाये कि वह उन गरीबों के जीवन के अनुसार हो। यह आर्थिक समता नहीं है कि शान शौकत के लिए हम हजारों-लाखों रुपये खर्च कर दें। यह भी लोकतंत्र नहीं है कि राष्ट्रपति भवन के प्रत्येक कोनों पर लोगों को निश्चल मूर्तिवत खड़े होने के लिए बाध्य किया जाए। ऐसी बातें व्यक्तियों के गौरव के विरुद्ध हैं। यदि हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो उसे हमें अपने सम्पूर्ण जीवन में, उसके सब अंगों में,चाहे उसका संबंध प्रशासन से हो, समाज से हो या आर्थिक क्षेत्र से हो, स्थापित करना पड़ेगा। मैं यह भी कहता हूं कि लोकतंत्र जाति-व्यवस्था से असंगत है। जाति-व्यवस्था सामाजिक दृष्टि से शिष्ट-जन-सत्तावाद है। जातिभेद और वर्ग भेद को हमें मिटा देना चाहिए अन्यथा हम लोकतंत्रवाद की शपथ ग्रहण नहीं कर सकते हैं।'

'हमने यह भी कहा है कि हम विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता रखेंगे। हमें इसकी जटिलता को भी समझ लेना चाहिए। इन सब

स्वतंत्रताओं की अहिंसा के आधार पर जो प्रत्याभूति (सुनिश्चितता) हो सकती है। यदि हिंसा है तो आप विचार की स्वतंत्रता नहीं पा सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पा सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता या उपासना की स्वतंत्रता नहीं पा सकते हैं। इस अहिंसा का प्रसार इतना होना चाहिए कि वह हमें अन्य व्यक्तियों के प्रति केवल सहिष्णु ही न बनाये, जैसा कि लौकिक रूप से कहा जाता है वरन किसी सीमा तक हम उसके विचारों को उसके लिए अच्छा समझें। केवल सहिष्णुता से ही हमें बहुत अधिक सहायता नहीं मिलेगी। बहुत से व्यक्ति सहिष्णु मात्र हैं। क्यों? क्योंकि वे उदासीन हैं। वे कहते हैं, 'इस व्यक्ति की उपासना हमारी उपासना से भिन्न है। वह गलत है। वह व्यक्ति अवश्य नरकगामी होगा; होने दीजिये, मुझे क्या मतलब?' यह सहिष्णुता नहीं है। यह तो असहिष्णुता है। यदि दैहिक रूप से अहिंसा प्रयोग में नहीं लाई जाती है तो इसलिए कि अहिंसा का प्रयोग सदैव संभव नहीं है; पर मानसिक हिंसा तो है ही। हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमें उसका सम्मान इस रूप में करना चाहिए कि उसमें सत्य का तत्व है। संसार का कोई धर्म सम्पूर्ण नहीं है परन्तु फिर भी ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें ईश्वरीय सत्य का कुछ तत्व न हो। इसके बाद हमने कहा है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी चाहिए। इसका यह अर्थ है कि हमारे सरकारी कार्यों में हमको पूर्णतया कलंक मुक्त रहना चाहिए, कुल-पोषणता नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, 'अपना' 'पराया' नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता हम केवल तभी दे सकते हैं, जबकि जिसे हम 'अपना' समझते हैं, उसे पीछे रखें और जिसे 'अपना नहीं' समझते हैं, उसे आगे रखें। जब तक ऐसा नहीं करते हैं, तब तक हम संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकेंगे।'

संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य या संप्रभु फेडरल गणराज्य?

संविधान सभा में उद्देशिका के कई शब्दों पर गंभीर बहस हुई। मौलाना हसरत मोहानी का सुझाव था कि हमें 'भारत को संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य' के स्थान पर 'संप्रभु फेडरल गणराज्य' या फिर 'संप्रभु स्वाधीन गणराज्य' कहना चाहिए। उनका तर्क था कि वर्तमान संविधान सभा और डॉ. अम्बेडकर द्वारा

तैयार किये गये मसौदे और सरकारी रिपोर्ट में 'राज्य क्षेत्र तथा फेडरेशन का नाम' शीर्षक के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो फेडरेशन स्थापित किया जा रहा है वह सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वाधीन गणराज्य होगा। अतः यह स्पष्ट निर्धारित कर दिया गया है कि हम केवल फेडरेशन रखेंगे और वह भारतीय गणराज्यों का फेडरेशन होगा।'

> इस पर सभा के सदस्य देशबंधु गुप्त ने कहा, 'यदि यह संशोधन पारित हो जाता है, तो समस्त संविधान को फिर से बनाना पड़ेगा।' इस पर मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था, 'आरम्भ में ही मैंने आपको रोकने का भरसक प्रयत्न किया था और कहा था कि यदि आप भारत की तकदीर का फैसला करना चाहते हैं तो पहले आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए और घोषणा कर देनी चाहिए कि आप किस प्रकार का संविधान निर्माण कर रहे हैं, पर तब मेरी बात नियम विरुद्ध ठहराई गयी। मौलाना हसरत मोहानी के इस प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ और संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

ईश्वर, परमेश्वर, देवी या महात्मा गांधी के नाम पर जो उद्देशिका प्रस्तावित की गयी थी, उसकी शुरुआत 'हम, भारत के लोग' से हो रही थी; लेकिन संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत का प्रस्ताव था कि सबसे पहले 'ईश्वर का नाम लेकर' शब्द रखे जाएं। रोहिणी कुमार चौधरी चाहते थे कि 'देवी का नाम लेकर' शब्द रखे जाएं।

इस विषय पर मत विभाजन हुआ और यह प्रस्ताव 41 मतों के विरुद्ध 68 मतों से अस्वीकार कर दिया गया।

इसके बाद प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना ने चाहा कि उद्देशिका में महात्मा गांधी का नाम शामिल किया जाए। पंडित गोविन्द लाल सक्सेना ने प्रस्ताव दिया कि

उद्देशिका की शुरुआत में 'परमेश्वर की कृपा से, जो पुरुषोत्तम तथा ब्रह्मांड का स्वामी है' शब्द जोड़े जाएं। लेकिन सभा इन प्रस्तावों से सहमत नहीं हुई।

असाम्प्रदायिकता संविधान सभा के सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने अपने संशोधन के प्रस्ताव में कहा, 'उद्देशिका का स्वरूप यह हो – 'हम, भारत के लोग, भारत को एक असाम्प्रदायिक सहयोगी राष्ट्र बनाने के लिए, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए.....।' वे चाहते थे कि हम यह स्पष्ट रूप से घोषित करें कि भारत एक असाम्प्रदायिक राष्ट्र होगा। उनका तर्क था कि 'असाम्प्रदायिक' शब्द को हमारे संविधान में स्थान नहीं मिला है। यह वह शब्द है जिस पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सबसे अधिक जोर दिया है। इस शब्द को हमें अपनी प्रस्तावना में रखना चाहिए क्योंकि यह अल्पसंख्यक वर्गों की मानसिक तथा नैतिक अवस्था में मृदुलता उत्पन्न करेगा और यह गुंडागिरी की उस भावना में रुकावट डालेगा, जिसका राजनीति में बोलबाला है।' लेकिन इस शब्द को भी अलग स्थान नहीं दिया गया क्योंकि यह माना गया कि 'असाम्प्रदायिकता या पंथ निरपेक्षता' तो भारत के प्रस्तावित संविधान में हर स्थान पर मौजूद मूल्य है। यह मूलभूत अधिकारों में भी धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल अनुच्छेद भी यह सिद्ध करते हैं कि भारत एक 'असाम्प्रदायिक या पंथ निरपेक्ष' राष्ट्र है।

सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न

ब्रजेश्वर प्रसाद का कहना था, 'सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग सर्वथा गलत है। राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है। क्या किसी भी प्रकार से व्यक्ति सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? यदि व्यक्ति सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है तो वह राज्य जिसका निर्माण व्यक्तियों से होता है, वह किस प्रकार सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो सकता है?'

श्रीमती पूर्णिमा बैनर्जी ने भी अपने प्रस्ताव में 'सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न' बनाए रखने का सुझाव तो दिया था लेकिन साथ ही कहा था कि 'मैं यह समझती हूं कि हमें

यह सोच समझकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हमारी जनता ही वह सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्राधिकार है, जिससे समस्त शक्ति प्राप्त होती है और जिसमें समस्त सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्राधिकार निहित रहते हैं। केवल इस बात से विश्वास करके कि पांच वर्ष में केवल एक बार वह निर्वाचन स्थल पर मत देने जायेगी इसलिए उसकी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता सुरक्षित है।'

उद्देशिका के 11 शब्द और उनके अर्थ

हम भारत के लोग,
भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए,
तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई.
(मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी)
को एतद्द्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं।'

भारत के संविधान के मूल सिद्धांत इसकी उद्देशिका में दर्ज हैं। उद्देशिका में दर्ज कुछ शब्द अपने आप में एक सम्पूर्ण सिद्धांत है। संविधान के मंतव्य को महसूस करने के लिए उद्देशिका में लिखे गये कुछ शब्दों के अर्थ समझना बहुत जरूरी हैं। यहां ऐसे ही कुछ शब्दों का उल्लेख है।

1. सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न

संविधान की उद्देशिका में दर्ज इन शब्दों का अर्थ है कि भारत एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश है। इस पर किसी अन्य देश या बाहरी सरकार का शासन नहीं है। यह इतना स्वतंत्र है कि यह अपना संविधान स्वयं बना रहा है और स्वयं ही इसे लागू करेगा। विश्व का कोई अन्य देश या सरकारें इसकी नीतियां नहीं बनायेंगे।

भारतीय गणराज्य अपने नागरिकों और इसकी सीमा में रहने वाले लोगों के प्रति उत्तरदायी है और अपनी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के नागरिकों ने संविधान सभा को चुना है और उन्हीं के निर्देश पर संविधान सभा ने संविधान बनाया, स्वीकार किया और लागू किया है।

अत: संविधान सभा को और फिर इसके बाद संसद और विधानसभा को जो भी शक्तियां मिलती हैं, वह भारत के नागरिकों से मतदान के माध्यम से मिलती हैं; यानी भारत में शासन व्यवस्था का नियंत्रण सूत्र नागरिकों के पास है।

'संविधान' मतलब नियमों की किताब–सबके लिए समान विधान, 'मतदाता' मतलब जो लोग चुनाव के समय वोट देते हैं।

आपको क्या लगता है, क्या अभी हमारे देश के सारे नियम कायदे हम ही बनाते हैं और राज भी हम ही करते हैं?

2. समाजवाद

समाजवाद का अर्थ है संपत्ति और अवसरों का ऐसा उपयोग करना, जिससे समाज में सबकी आर्थिक असमानता ख़त्म की जा सके, आर्थिक अन्याय और शोषण को मिटाया जा सके। इससे लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी आएगी और लोग, खासतौर पर अभावग्रस्त (वंचित) लोगों को इज्जत (गरिमा) के साथ

जीवन जीने का अधिकार मिल पायेगा।

समाजवादी व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा और लोकहित के आर्थिक-प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक (यानी सरकार के) नियंत्रण में होते हैं। सरकार को यह अधिकार होता है कि वह 'जन कल्याणकारी' नज़रिये से इनका 'न्यायोचित और जवाबदेय' इस्तेमाल करे।

वास्तव में समाजवाद की व्यवस्था पूंजी और संसाधनों पर एकाधिकार और उसके निजीकरण को रोकती है।

समाजवादी व्यवस्था में देश और समाज हित के उद्योग भी सरकार के नियंत्रण में होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि निजी क्षेत्र और निजी पूंजी का मकसद मुनाफ़ा अर्जित करना होता है। और वह असमानता, शोषण, अन्याय और गरीबी मिटाने के संवैधानिक लक्ष्य के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, इसलिए इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार के पास संसाधनों की शक्ति भी होना अनिवार्य है।

बहुत सारे देशों ने समाजवाद का रास्ता अपनाया था। मसलन वहां किसी की निजी खेती नहीं थी, परिवहन के साधन निजी नहीं थे, सब मिलकर काम करते थे और जो भी उत्पाद होता था उसे बराबरी से बांट लेते थे। परिवहन के लिए सरकारी साधन थे पर यह मॉडल बहुत सालों तक चल नहीं पाया और फिर बाद में लोगों ने दुनिया में प्रचलित मॉडल को अपना लिया।

आपको क्या लगता है यह व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था मानी जाए?

3. पंथ निरपेक्षता

भारत की शक्ति है उसकी विविधता। यदि उसका संरक्षण और सम्मान न किया जाए, तो वह भारत की सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। भारत में कई अलग-अलग पंथों को मानने वाले समुदाय रहते हैं। संविधान के मूलभूत अधिकारों के तहत (अनुच्छेद 25 से 28) उन सबको अपना पंथ मानने, अपने-अपने आराध्य-ईश्वर की अपने तरीके से आराधना-आचरण करने, अपने पंथ और धर्म का प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार दिया गया है।

भारत में सभी पंथों को समानता के नज़रिये से देखा जाता है। कोई पंथ ऊंचा या नीचा नहीं है। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि भारत में कोई भी पंथ राजकीय पंथ या धर्म नहीं होगा, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी विशेष पंथ या धर्म को विशेष दर्जा नहीं देंगे यानी सरकार का कोई पंथ/धर्म नहीं होगा।

इसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारत की राज्य व्यवस्था किसी पंथ या धर्म से शत्रु भाव भी नहीं रखेगी। भारत ने तय किया है कि भारत की राज्य व्यवस्था पंथ–निरपेक्ष रहेगी।

संविधान कहता है कि सरकार के संसाधनों से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी, लेकिन इसके साथ ही राज्य की जिम्मेदारी है कि धर्म के नाम पर धर्म की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न किया जाए, अपराध और असामाजिक काम न किये जाएं; जैसे स्त्रियों के अधिकारों का हनन, सती प्रथा, बालवध, छुआछूत आदि।

यदि कोई व्यवहार लोक स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक नियमों/क़ानून का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उन व्यवहारों में दखल दे सकता है।

यह भी स्पष्ट है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसलिए चुनाव में कोई भी उम्मीदवार धर्म या पंथ के नाम/आधार पर वोट नहीं मांग सकता है।

भारत में भगवान को मानने वाले भी हैं और न मानने वाले भी (आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी),सगुणी और निर्गुणी भी, ईश्वरवादी भी हैं और अनीश्वरवादी भी; ऐसा नहीं है कि नास्तिक ही पंथ निरपेक्ष होगा और आस्तिक पंथ निरपेक्ष नहीं होगा। किसी भी पंथ में विश्वास रखते हुए, अन्य पंथों या विचार की गरिमा और उनके विश्वास को खारिज न करना ही पंथ निरपेक्षता है। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाला भी पंथ निरपेक्ष हो सकता है और इस्लाम या ईसाइयत में विश्वास रखने वाले भी पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं। किसी के पंथ निरपेक्ष होने का मतलब यह नहीं है कि वह किसी पंथ में विश्वास न रखे।

भारत में केवल एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक़ यहां हिन्दू (82.75 करोड़), इस्लाम (13.81 करोड़), सिख (1.92 करोड़), जैन (42.25 लाख), बौद्ध (79.55 लाख), ईसाई (2.40 करोड़), जूडिज्म, जोरोस्ट्रेनियज्म, बहाई (अन्य – 66.39 लाख) आदि धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। 7.28 लाख लोग अपना पंथ दर्ज नहीं करते हैं। हमें यह जानना होगा कि मूलनिवासी समुदाय (जिन्हें अब अनुसूचित जनजाति या आदिवासी कहा जाता है) प्रकृति को अपना आराध्य या धर्म मानते हैं। यह भारत की विविधता है। इस विविधता को भारत के समाज ने अपनाया है और यह विविधता और इनका परस्पर सद्भाव भारत को एक सभ्य समाज बनाने की ओर बढ़ने की ऊर्जा देती है। इन विविध समूहों के बीच परस्पर स्वीकार्यता, सम्मान और सहज रिश्ता होना, परस्पर सहिष्णुता होना ही पंथ निरपेक्षता है।

आपको क्या लगता है, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं और सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान देते हैं सबकी पूजा पाठ की पद्धति को?

4. लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था

लोकतंत्र सरकार की व्यवस्था का एक रूप होता है। इस व्यवस्था में लोग खुद (वोट देकर) व्यवस्था को चलाने का दायित्व देने के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इस व्यवस्था में किसी उद्योगपति या सम्राट या सुल्तान का राज नहीं होता है।

लोकतंत्र के मुख्य रूप से तीन स्तम्भ माने जाते हैं – न्यायपालिका (यानी अदालतें), कार्यपालिका (यानी राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और व्यवस्था चलाने वाले लोग) और विधायिका (संसद, विधानसभा, विधान परिषद यानी जो कायदे क़ानून बनाते हैं);

लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह माना जाता है कि सरकार जो भी निर्णय लेती है, वे निर्णय जनता के होते हैं, क्योंकि जनता ने ही उन्हें निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया है और चुनकर भेजा है ताकि वे लोगों के लिए सही निर्णय ले सकें।

लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत सुन्दर अवधारणा है और यह सुंदरता तभी दिखाई देती है, जब लोग सोच-समझ कर सही लोगों को चुनें, यदि सरकार कोई गलत नीति या क़ानून बनाए या अपनी ताकत का दुरूपयोग करे तो उन्हें रोके, सरकार से सवाल-जवाब करे;

यदि जनता खुद अपराधियों को (या देश में अपराध करने वालों को सार्वजनिक रूप से सहयोग करते हैं) सरकार चलाने के लिए चुनेगी या ऐसे लोगों को चुनेगी, जो जाति, धर्म, मूलवंश या पूंजी के आधार पर भेदभाव करते हैं; तो देश में लोकतंत्र नहीं होगा। तब एक दूषित तंत्र विकसित हो जाएगा, जो अन्याय, शोषण, असमानता और हिंसा को शासन के मूल तत्व बना देगा।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक लोकतंत्र (यानी सामाजिक समानता और अधिकार), राजनैतिक लोकतंत्र (यानी राजनैतिक समानता और अधिकार) और आर्थिक लोकतंत्र (यानी आर्थिक समानता और अधिकार) शामिल हैं।

आपको क्या लगता है, चुनावों में जो लोग जीत रहें है या जो लोक प्रतिनिधि हैं वे सही तरीके से काम करते हैं और जनता के हित में निर्णय लेते हैं?

5. गणराज्य

गणराज्य शासन व्यवस्था का एक रूप है। इस व्यवस्था के तहत किसी राज परिवार के हाथ में शासन नहीं होता है, न ही शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। इसमें आम लोगों के बीच का कोई भी व्यक्ति सबसे ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है। हम सबने राजा महाराजाओं की कहानियां सुनी हैं पर किसी ने अब यह नहीं सुना कि किसी राज्य या जिले में एक राजा का राज्य है।

गणराज्य व्यवस्था में देश के नागरिक खुद अपने प्रतिनिधि निर्वाचित (चुनते) करते हैं। उन निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासन चलाने के लिए संविधान के माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं और नियमित निर्वाचन की शक्ति नागरिकों को

शासन व्यवस्था को निरंकुश बनने से रोकती है। दूसरे अर्थों में गणराज्य में अधिनायकवाद या तानाशाही (एक व्यक्ति के मन की इच्छा अनुसार काम होना) नहीं होती है।

जब भारत ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण से आज़ाद हुआ, तब उसने तय किया कि भारत में पहले से चली आ रही राजशाही और रियासत की शासन व्यवस्था को जारी नहीं रखा जाएगा। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में पहले राजा का और फिर रानी का शासन था, जिनका दुनिया भर में राज चलता था।

इसका सीधा अर्थ यह था कि भारत किसी अन्य देश या देशों के समूह के अधीन नहीं रहेगा। इसके बजाय स्वतंत्र भारत एक 'गणराज्य' होगा, जहां भारत के लोग अपनी सरकार चुनेंगे और चुने हुए प्रतिनिधियों या सरकार को पांच साल तक सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जायेगी। यदि भारत के लोग चाहेंगे तो फिर से उन्हीं लोगों या राजनैतिक दल को सरकार चलाने का मौका दे सकेंगे।

वर्ष 2019 में 543 संसदीय क्षेत्रों (सांसद का चुनाव) के लिए चुनाव हुआ। इन संसदीय क्षेत्रों के लिए 8,026 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए। भारत में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर 673 राजनैतिक दल पंजीकृत हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में कुल 4,123 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिन पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव लोग खुद करते हैं।

भारत में 2,55,536 ग्राम पंचायतें, 6,829 जनपद पंचायतें, 659 जिला परिषद/पंचायतें और 4,472 शहरी निकाय/निगम हैं। इनका गठन भी चुनाव के जरिये ही होता है। इसका मतलब है कि गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक भारत के लोग खुद अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उनके चुनाव से ही तय होता है कि भारत की व्यवस्था का चरित्र क्या होना चाहिए।

आपको क्या लगता है, हमारे यहां पंचायत से लेकर विधानसभा और बाकी जगहों पर 'गणराज्य' है?

6. न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय)

संविधान कहता है कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिलेगा। इसके तहत जिन्दगी और सरकार के सभी मामलों में सबके साथ सबसे उचित और सम्मानजनक बर्ताव होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सबको, सभी समुदायों के लोगों के साथ, महिलाओं, पुरुषों के साथ, किसी भी इलाके में बसे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना। उनके साथ भेदभाव नहीं होना।

न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है और यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह हर व्यक्ति की बात/पक्ष को सुने और कोई भी निर्णय लेते समय उस बात को तवज्जो दे।

न्याय–ऐसी व्यवस्था का होना, जिसमें सरकार के कामों, योजनाओं और सामाजिक–आर्थिक व्यवहार में जवाबदेहिता हो; यानी सरकार की व्यवस्था लोगों के प्रति जवाबदेह हो। जब भी एक व्यक्ति कोई जानकारी चाहे तो उसे जानकारी दी जाए, सवाल पूछे तो उसका उत्तर दिया जाए। जैसा कि गांधीजी कहते थे कि सरकार के हर काम और योजना का फायदा समाज के आखिर में खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए।

यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो या उसके सामाजिक–आर्थिक–राजनैतिक अधिकार का हनन हो तब संविधान अदालत को यह ताकत देता है कि वह उस व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करे और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य करे।

न्याय में शामिल है – कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बेगार (बिना पारिश्रमिक या कम पारिश्रमिक देकर मजदूरी या काम करवाना) नहीं करवा सकता है।

संविधान मानता है कि मनुष्यों का व्यापार नहीं होना चाहिए यानी व्यक्ति को खरीदा–बेचा नहीं जा सकता है। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि घरेलू काम के लिए या शारीरिक शोषण/देहव्यापार के लिए महिलाओं का सौदा किया जाता है। यह संविधान का उल्लंघन है।

इसी तरह छोटे बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। 14 साल से कम

उम्र के बच्चों को खतरनाक काम या श्रम में नहीं लगाया जा सकता है।

सामाजिक न्याय – लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो। ऐसा व्यवहार, जो उन्हें दु:ख न पहुंचाए। किसी के साथ जाति, लिंग, विकलांगता या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वास्तव में पारम्परिक भारत के सामजिक ढांचे में कुछ समुदायों को बहुत ज्यादा स्वयंभू महत्व और प्रभावी शक्तियां हासिल हैं और कुछ समुदाय उनके अधीन हैं (जाति और वर्ण व्यवस्था)। इससे सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ है। इस सामाजिक असंतुलन को दूर किये बिना जनकल्याणकारी राज्य और सभ्य समाज की स्थापना संभव नहीं है।

सामाजिक असमानता और भेदभाव के चलते राजनैतिक–आर्थिक न्याय का लक्ष्य भी हासिल करना मुश्किल होता है। अत: सामाजिक ढांचे की इसी विसंगति को दूर करने के लिए संविधान में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करने का वचन दिया गया।

सामाजिक न्याय का अर्थ है भारत में किसी भी आधार पर छुआछूत नहीं होगी। जाति–लिंग–वर्ण–मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क़ानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे और जो वंचित हैं उनके लिए न्याय पाने, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए राज्य और सभी स्तर की सरकारें, पंचायतें, नगर पालिक निगम और जन प्रतिनिधि विशेष प्रयास करेंगे।

सामाजिक न्याय के दो पहलू हैं – पहला : समाज में ऐसा बदलाव लाना कि किसी के साथ अन्याय न हो और दूसरा : यदि अन्याय हो तो उन्हें क़ानून के सामने समानता का व्यवहार और संवैधानिक संरक्षण मिले।

आर्थिक न्याय – संविधान कहता है कि भारत में जो भी संपदा है, उसका इस्तेमाल इस तरह किया जाना, जिसका लाभ सभी को समान रूप से मिले। सरकार ऐसी नीतियां नहीं बनाएगी, जिनसे कुछ लोग धन संपत्ति यानी पूंजी का पहाड़ खड़े करते जाएं और कुछ लोग गरीबी के दलदल में धंसते जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों या परिवारों के पास खूब धन–दौलत हो और

देश के ज्यादातर लोग भुखमरी–बेरोज़गारी के साथ अपना जीवन जिएं, किसी के पास सैंकड़ों एकड़ जमीन हो और किसी के पास आधा बीघा जमीन भी न हो।

देश के प्राकृतिक संसाधनों यानी जल, जंगल, जमीन, खनिज, हवा, प्राकृतिक तेल का उपयोग जिम्मेदारी और न्याय की समझ के साथ होना चाहिए। संसाधनों का उपयोग लोकहित में होना चाहिए।

आर्थिक न्याय का अर्थ है सबको रोज़गार और जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन मिलना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन/पारिश्रमिक मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, जहां लोग काम करते हैं, वहां की स्थितियां अमानवीय नहीं होनी चाहिए (मसलन पीने का पानी, शौचालय, स्वच्छता का न होना, कामकाजी गर्भवती महिलाओं को प्रसूति लाभ न मिलना आदि)।

राजनैतिक न्याय – राजनैतिक व्यवस्था और प्रक्रियाओं (चुनाव में भाग लेना, मतदान करना, किसी राजनैतिक विचार से जुड़ना आदि) में सबको भाग लेने का अधिकार है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान में जो सपना (छुआछूत, शोषण और असमानता खत्म करना, सबको अपनी बात कहने, सबको शिक्षा और अपना धर्म पालन करने का अधिकार मिलना, समाज में बधुत्व की भावना और सभी तरह के न्याय के लिए व्यवस्था बनाना) देखा गया था, वह तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक कि भारत के सभी लोगों को राजनैतिक न्याय नहीं मिल जाता। वास्तव में स्वतंत्र भारत के निर्माण का पहला कदम राजनैतिक न्याय के रूप में उठाने की जरूरत थी।

राजनैतिक न्याय का अर्थ है कि राजनैतिक व्यवस्था में एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच भेद नहीं किया जाएगा, लेकिन सदियों से चली आ रही शोषण और छुआछूत वाली व्यवस्था को खत्म करने के लिए वंचित तबकों के राजनैतिक नेतृत्व को विकसित करने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है।

राजनैतिक न्याय यानी देश का हर व्यक्ति चुनाव में या किसी भी राजनैतिक प्रक्रिया में भाग ले सके। इसमें संपत्ति, धर्म, जाति या किसी भी अन्य आधार पर

उसे राजनैतिक प्रक्रियाओं में या व्यवस्था में हिस्सेदारी करने से नहीं रोका जाना शामिल है। इसी राजनैतिक प्रक्रिया या मतदान से वह अपनी पसंद की सरकार का गठन करता है और अपेक्षा करता है कि उसके द्वारा चुने गए सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधि ऐसे क़ानून और नीतियां बनायेंगे, जिनसे उनका जीवन और देश बेहतर बनेगा।

राजनैतिक न्याय का मतलब है कि 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति बिना किसी दबाव या भय के अपनी समझ के साथ वोट दे सके। जो भी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भाग लेते, वे सभी वोट पाने के लिए स्वतंत्र हों।

राजनैतिक न्याय का मतलब है एक व्यक्ति एक मत; यानी किसी भी आधार पर राजनैतिक व्यवस्था में किसी को कम या ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा, या राजनैतिक दलों में किसी एक परिवार का वर्चस्व रहेगा।

कोई भी व्यक्ति अपने राजनैतिक न्याय के अधिकार का सोच-समझ कर इस्तेमाल कर सके, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि हर मतदाता को चुनाव में खड़े उम्मीदवार की संपत्ति, शिक्षा और दर्ज आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी पाने का राजनैतिक अधिकार भी है।

राजनैतिक व्यवस्था के अनुभवों को देखते हुए अब भारत में 'नकारात्मक मतदान' के विकल्प को भी चुनने का अधिकार है यानी वह अपना मत 'किसी भी उम्मीदवार को नहीं' देने का अधिकारी है।

आपको क्या लगता है, हम समाज में या अपने आसपास के लोगों में ये तीनों बातें देख पा रहें है - सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय?

7. स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना)

यदि देश और समुदाय में रहने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र न हो तो देश की स्वतंत्रता भी अधूरी मानी जायेगी। वास्तव में देश की सभ्यता और उन्नति का यह सूचक है कि हर व्यक्ति बिना किसी डर के अपने विचार अभिव्यक्त कर सके। उसके मन में यह भय न हो कि उसके विचार व्यक्त करने पर उसका हिंसक विरोध किया जाएगा या उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही हर एक व्यक्ति को अपनी

धार्मिक भावनाओं का पालन करने और उपासना करने की स्वतंत्रता भी है।

संविधान में स्पष्ट किया गया है कि देश की एकता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार प्रभावित करने, मानहानि आदि से सम्बंधित निर्धारित बंधनों के अलावा भारत के हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने, कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए संगठन–संस्था, देश में किसी भी कोने में आने–जाने और वहां बसने और व्यापार–व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। मतदान को भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी भी आरोपी को बंदी बनाए रखने की अपेक्षा जमानत दिए जाने के निर्णय को प्राथमिकता दी जाना चाहिए क्योंकि यह वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है।

राजनैतिक या वैचारिक असहमति के अधिकार को भी सीमित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार या कोई प्रभुत्ववादी राजनैतिक दल हर किसी असहमति या विरोध को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्त का दुरूपयोग करके पुलिस, सरकारी संस्थाओं या सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करता है तो यह वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

हर व्यक्ति, बच्चे, महिला को जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहने और खुलकर बोलने की स्वतंत्रता है। लोग लिख सकते हैं और किसी अन्य रूप में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों के भारत में कहीं भी आने–जाने और रहने की स्वतंत्रता है। बच्चे किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं।

हर एक को अपना धर्म या कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। बच्चे, युवा या कोई भी लोग अपना जन समूह बना सकते हैं।

इस स्वतंत्रता की सीमा वहीं तक है, जहां तक इससे किसी अन्य व्यक्ति, देश के हितों और एकता–अखंडता को चोट या नुकसान न पहुंचे।

क्या आपको लगता है कि यह बोलने, लिखने या अपनी बात कहने के अधिकार के विरुद्ध है?

संविधान में स्वतंत्रता को स्पष्टता के साथ लिखा गया है। इसमें शामिल है –

- **बात कहने की स्वतंत्रता** – किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी पहचान यही होती है कि क्या देश के नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है? क्या लोग अपने मन की बात लिख सकते हैं? क्या कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपने मन की बात व्यक्त कर सकता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अच्छे समाज का सूचक इसलिए माना गया है क्योंकि जब अलग-अलग प्रकार के विचार सामने आते हैं, बहस होती है, चर्चा होती है तब समाज और लोगों के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। इससे नए रास्ते खुलते हैं। इससे व्यक्ति का विचार तंत्र सक्रिय होता है। जब व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं होती है, तो उसके विचार करने की क्षमता भी कम हो सकती है।

  याद रखिये कि जब किसी एक विषय पर कई लोग चर्चा करते हैं, तो यह संभव ही नहीं है कि सबके विचार एक समान हों। उनमें भिन्नता होगी ही। यह भी जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक दूसरे के नज़रिये से सहमत हों यानी असहमति भी होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में असहमत होना और असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी शामिल है।

- **शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने या संगठित होने की स्वतंत्रता** – भारत का संविधान, भारत के लोगों को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी विषय पर जमा हों, संगठन बनाएं, जुलूस निकालें, प्रदर्शन करें। किसी भी विषय पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या जनमानस तैयार करने के लिए संगठित पहल करने का अधिकार भी इसमें शामिल है। मजदूर, किसान, छात्र, कर्मचारी, चिकित्सक, शिक्षक आदि अपनी मांगों या हितों की सुरक्षा के लिए संघ या संगठन या यूनियन बना कर काम कर सकते हैं।

- **देश में कहीं भी आना-जाना** – भारत का संविधान कहता है कि भारत के नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में आ-जा सकते हैं। काम कर सकते हैं,

रह सकते हैं, बस सकते हैं। इसका मतलब है कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जा कर रोज़गार हासिल कर सकते हैं और बस भी सकते हैं। जब लोगों को अपने राज्य या जिले या गांव में रोज़गार नहीं मिलता है, तब वे दूसरे राज्य जाते हैं। यानी आने-जाने के अधिकार के साथ ही अपने लिए रोज़गार चुनने की स्वतंत्रता भी जुड़ जाती है।

- **जीने का अधिकार** – हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन पर संकट आता हो या मृत्यु होती हो। बहरहाल क़ानून के मुताबिक़ अदालत किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देती है, तो उस स्थिति में भी जीवन के अधिकार का हनन होता है, लेकिन इसे स्वीकृति दी गयी है। इस अधिकार में वे अधिकार भी शामिल होते हैं, जिनसे जीवन में सम्मान, गरिमा और सुरक्षा आती है। उदाहरण के लिए अच्छे जीवन के अधिकार को हासिल करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने के मौलिक अधिकार के साथ जोड़ा गया है।

- **वैयक्तिक स्वतंत्रता** – कोई व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, कहां जाता है, किस तरह की जीवन शैली अपनाता है, कौन सी भाषा बोलता है.....ये सब वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े पहलू हैं। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तब उसे पुलिस के द्वारा यह बताया जाना होता है कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तारी के कारण क्या हैं? उसे अपने वकील से बात करने का अधिकार होता है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना होता है।

- **धार्मिक स्वतंत्रता** – भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है यानी यहां की राज्य व्यवस्था (न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका) किसी एक ख़ास पंथ के प्रति झुकी नहीं रहती है। हमारी सरकार किसी एक पंथ (जैसे मुसलमान, हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी आदि) की सरकार नहीं होती है। यदि सरकार किसी एक ख़ास पंथ की प्रतिनिधि बनकर काम

करती है, तो यह संवैधानिक नज़रिये से उचित व्यवहार नहीं है। सरकार किसी ख़ास पंथ या धर्म को विशेष अधिकार नहीं दे सकती है।

धार्मिक स्वतंत्रता के मुताबिक भारत के हर व्यक्ति को अपनी पसंद/रुचि/श्रद्धा के अनुसार अपना धर्म चुनने, मानने, उसके हिसाब से व्यवहार करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से और बिना किसी लालच या दबाव के या बिना झांसे में आये अपना धर्म बदलना चाहता है, तो हमारा संविधान उसे यह अधिकार देता है।

धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हमें धर्म के नाम पर किसी से छुआछूत करने, किसी का शोषण करने, किसी के साथ हिंसा करने या शांति भंग करने का अधिकार मिल जाता है।

8. समता और समानता

संविधान कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव या छुआछूत नहीं की जायेगी। ये अपराध है। धर्म के आधार पर सुविधाओं और अधिकारों में भेदभाव न होगा। सभी सार्वजनिक स्थान हर व्यक्ति के लिए खुले हैं। छुआछूत ख़त्म कर दी गयी है। यानी सब लोग बराबर हैं।

महाराजा, सम्राट, राजा, सुल्तान सरीखी उपाधियों का उपयोग बंद कर दिया गया है।

राजनैतिक समानता का अर्थ है कि एक व्यक्ति का एक वोट होगा और सबके वोट का मूल्य समान होगा चाहे वो बेहद गरीब हो या बहुत अमीर।

स्कूल में बच्चे एक साथ बैठेंगे और एक साथ भोजन करेंगे। इसी तरह स्त्रियों और पुरुषों को काम के समान अवसर मिलेंगे और उनका वेतन या दिहाड़ी या पारिश्रमिक भी समान होगा।

यह माना गया है कि यदि देश में, समाज में समानता (सबको एक समान स्थिति में लाना) का भाव नहीं होगा, तो सभी सामाजिक–आर्थिक–राजनैतिक अधिकार

व्यर्थ हो जायेंगे। जिन्दगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बराबरी के मौके मिलें। सरकार नीति बनाते समय जाति, विचार या संपत्ति सरीखी बातों के आधार पर स्त्रियों और पुरुषों के लिए समानता की स्थिति लाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

सभी सार्वजनिक स्थानों, यानी शिक्षा के संस्थान, पानी के स्रोत, सड़कें, कोई भी दफ्तर आदि में प्रवेश देने में या उनके उपयोग में कोई असमानता का व्यवहार नहीं होगा।

समता का मतलब है कि जीवन को बेहतर बनाने और जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन्नति के लिए सबको अवसर उपलब्ध होंगे। महिलाओं और पुरुषों को एक जैसे काम के लिए समान वेतन मिलेगा।

संविधान के अनुच्छेद 14 के मुताबिक़ राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। संविधान के मुताबिक़ समता केवल एक मूलभूत अधिकार ही नहीं है, बल्कि उद्देशिका में दर्ज संविधान का आधारभूत सिद्धांत भी है।

क़ानून का शासन

सबसे अच्छी व्यवस्था वह होती है जो क़ानून के मुताबिक़ संचालित होती है। जो भी हो, जो भी निर्णय लिया जाए, वह क़ानून के मुताबिक़ हो। हर निर्णय और नीति का क्रियान्वयन भी क़ानून के मुताबिक़ हो और उसकी समीक्षा भी। क़ानून व्यक्ति, समुदाय और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, उन्हें निश्चित अनुशासन में बांधते हैं ताकि हमारा समाज बेहतर हो सके। वहां अन्याय, हिंसा, भेदभाव, गरीबी और भय न हो। इसे ही क़ानून का शासन (या क़ानून का राज कहते हैं) अगर क़ानून न हो, तो हर कोई अपने मन के मुताबिक़ व्यवहार करेगा। बिना क़ानून के सरकार अजीब सी ही होगी। महत्वपूर्ण यह है कि क़ानून कैसे बनते हैं? कौन बनाता है और किस मकसद/मंशा से क़ानून बनाये जाते हैं?

यहां जब हम 'क़ानून' की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा संविधान, हमारी संसद के द्वारा बनाए गये क़ानून, सरकार के द्वारा बनाई गयी नीतियां और योजनाएं।

अच्छा क़ानून और खराब क़ानून

आप बताइए कि अच्छे क़ानून का मतलब क्या है और खराब क़ानून का मतलब क्या है?

अच्छा क़ानून	खराब क़ानून
• जो न्याय दिलाये • जो वंचित न करे • जो भेदभाव न करे और लोगों के प्रति हिंसा का भाव न रखे • जो लोगों की स्थितियों को परख सके • जो लोगों को गरीबी से बाहर निकाले • जो बच्चों और महिलाओं को अधिकार दिलाये • जो छुआछूत को खत्म करे • जो लोगों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का अहसास जगाये • जो एक दूसरे का सहयोग करना सिखाये • जो सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दिलाये • जो वंचितों की स्थिति में बदलाव लाये और उनकी जिन्दगी बेहतर बनाए।	• जो लोगों को मूलभूत अधिकारों से वंचित करे • जो भेदभाव और छुआछूत बनाए रखे • जो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करे • जो लोगों को गरीबी में बनाए रखे • जो न्याय न होने दे • जो लोगों को अपनी बात न कहने दे • जो महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों से दुर्व्यवहार करे • जो लोगों के बीच भेदभाव की भावना जगाये • जो वंचितों और उपेक्षितों की स्थिति में बदलाव न आने दे • जो लोगों के प्रति हिंसा का भाव रखे • जो किसी ख़ास सम्प्रदाय या समुदाय के पक्ष में काम करे।

भारत का संविधान कहता है, सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी और ऐसे संचालित करेगी, जिसमें क़ानून के सामने सभी लोग समान होंगे। यानी पद, समुदाय, धन-संपत्ति के मामले में व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो, क़ानून के सामने सभी समान हैं और उनके साथ एक-जैसा व्यवहार किया जाएगा।

कोई व्यक्ति गांव में पैदा हुआ और कोई व्यक्ति महानगर में पैदा हुआ, इसके आधार पर भी किसी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है।

कोई व्यक्ति महिला है और कोई पुरुष है, इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता है; इसीलिए संविधान कहता है कि महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा।

किसी भी दुकान, सार्वजनिक कुएं, होटल, खेल के मैदान के इस्तेमाल का समान अधिकार होगा।

समता – आप कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियों या स्कूल–कॉलेजों में भर्ती करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं या दिव्यान्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

यह व्यवस्था तो समानता के अधिकार के खिलाफ है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। समानता का एक गहरा मतलब यह भी है कि व्यक्ति और समुदाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध करवाना।

चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति समूह के लोग या महिलाओं को पहले सैंकड़ों सालों तक ऐसे अवसर नहीं मिले, जिनसे वे खुद को इस व्यवस्था के मुताबिक़ तैयार कर पाते। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, इसीलिए वे लोग आजकल की प्रतिस्पर्धा में टिक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक व्यवस्था ने उन्हें सक्षम नहीं होने दिया।

ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किये जाएं, ताकि ऐतिहासिक रूप से चली आ रही असमानता की खाई को पाटा जा सके। और हम उस स्थिति में पहुंच जाएं, जब इन वंचित समूहों को आरक्षण की जरूरत न हो और वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सामान्य व्यवस्था में शामिल हो सकें।

एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। यह सबने माना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों में से ही राजनैतिक और सामाजिक नेतृत्व के विकास से ही उनकी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागिता बढ़ सकती है, किन्तु मौजूदा वर्ण और जातिवादी चरित्र के कारण ये समुदाय केन्द्रीय राजनीतिक पटल पर नेतृत्वकारी भूमिका नहीं ले पायेंगे। यही कारण है कि संसद में आदिवासी और दलित समुदायों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में संसदीय स्थान आरक्षित किये गए। लोकसभा के 543 स्थानों में से अनुसूचित जाति समुदाय के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किये गए हैं।

समता का सिद्धांत यह कहता है कि यदि विभिन्न समुदाय असमान परिस्थितियों में हैं, तो सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जो लोग वंचित, उपेक्षित और शोषित हैं, उन्हें अन्य समुदायों की तुलना में ज्यादा संरक्षण और सहयोग की जरूरत होगी। यदि कोई व्यक्ति या समुदाय ज्यादा वंचित है, तो उसे अन्य व्यक्ति या समुदायों की बराबरी में लाने के लिए विशेष संरक्षण दिया जा सकता है। जब वह बराबरी की स्थिति में आ जाएं, तब ही उसके साथ अन्य समुदाय के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

मसलन अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय पारम्परिक रूप से पीछे धकेले गये हैं, इसलिए उन्हें बराबरी का स्थान देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी। इसी तरह महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किये गये। सिद्धांत यह है कि समानता का व्यवहार करने से पहले समता का व्यवहार करना जरूरी है, क्योंकि समानता का व्यवहार तभी किया जा सकता है, जब सभी लोगों या समुदायों की आधारभूत स्थिति एक समान हो। समता और समानता में अंतर है– समानता का अर्थ सबको समान और समता का अर्थ है जो कमजोर हैं उसे उसके हिसाब से दिया जाए ताकि वह बाकी सबके समान हो सकें, पहले हमें

समता लानी होगी फिर समानता।

संविधान का भाव यह है कि राज्य समता का व्यवहार करेगा ताकि सामाजिक–आर्थिक–राजनैतिक समानता का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

आपको क्या लगता है हमारे समुदाय, गांव या समाज में समता है, क्या सबको समान अधिकार है, क्या मजदूरी का भुगतान सबको समान होता है?

9. गरिमा

गरिमा यानी इज्जत या स्वाभिमान इंसान के जीवन का मूल भाव है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति या परिस्थिति में गरिमा से समझौता नहीं करना चाहता है। व्यक्ति की भावना होती है कि उसके साथ अच्छे से, सम्मान के साथ बात की जाए, जहां वह काम करता है, श्रम करता है, वहां उसे सम्मानजनक माहौल मिले।

वास्तविकता यह है कि अपमानजनक व्यवहार या स्थितियां व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे में वह स्वयं को या दूसरों को आघात पहुंचाने के बारे में भी विचार करने लगता है।

गरिमा का मतलब यह भी है कि व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले क्योंकि हर व्यक्ति बुद्धिवान है और विचार करता है।

गरिमा का अर्थ है कि व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार हो, किसी भी श्रम के मामले में उसे सम्मानजनक और समान वेतन मिले। किसी भी व्यक्ति को ऐसा काम न करना पड़े, जो मानवीय गरिमा के अनुकूल न हो।

जब बच्चों को स्कूल में सज़ा मिलती है, महिलाओं को असमान वेतन मिलता है, व्यक्ति को भरपेट भोजन–आवास नहीं मिलता है, किसी समुदाय विशेष की महिलाओं को देह व्यापार करने या मानव मल उठाने का काम करना पड़ता है, घरों के भीतर महिलाओं के साथ हिंसात्मक व्यवहार होता है, तीसरे लिंग के व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, रोज़गार के स्थानों पर

शौचालय या पीने के पानी या बच्चों की देखरेख की व्यवस्था नहीं होती है, तब यह माना गया है कि उनके साथ गरिमा का व्यवहार नहीं हो रहा है। इसे बदलने के लिए नीतियां और न्यायिक व्यवस्था की मुख्य भूमिका तय की गयी है।

आपको क्या लगता है 75 वर्ष की आजादी के बाद अपने देश में सबको गरिमा मिल रही है, यदि नहीं तो क्यों?

10. एकता और अखंडता

विश्व भर में पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी सोच देखा गया। इसमें एक देश दूसरे देश को अपने नियंत्रण में या कब्जे में लेने की मंशा रखता है, वहां के मानव और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन करना चाहता है। यह भी होता है कि स्थानीय सरकारें प्रभावशाली व्यापारिक–वाणिज्यिक और सामरिक संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए संविधान विरोधी नीतियां और क़ानून बनाती हैं, इससे देश के संसाधनों पर बाहरी या एकाधिकारवादी समूह अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं।

इसका सीधा अर्थ यह है कि कुछ समूहों/परिवारों के पास देश की आधी से ज्यादा संपत्ति जमा हो जाती है, जबकि बाकी के 99 प्रतिशत परिवारों की संपत्ति हो जाती है – असुरक्षा, गरीबी, वंचना और दु:ख। असमानता की खाई देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बन जाती है। देश और समाज में असंतोष पैदा करती है, भेदभाव और सामाजिक–सांस्कृतिक दूरियों को बढ़ाती है।

रणनीतिक तरीके से समाज और संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए नागरिक स्वतंत्रता को खत्म करती है, संविधान के प्रति अविश्वास पैदा करती है और राजनैतिक एवं राज्य की संस्थाओं को कमज़ोर करती हैं, ताकि देश भीतर से कमज़ोर हो और बाहरी संस्थाएं या दूसरे देश की सरकार उनकी व्यवस्था पर कब्जा जमा सके। ऐसे में हमारा देश भीतर से कमज़ोर हो जाता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति दुश्मनी या दुराग्रह वैमनस्यता रखने लगता है, साम्प्रदायिकता और बेरोज़गारी बढ़ती है। तब स्थिति को कठोरता से नियंत्रित करने के लिए सैन्य व्यवस्था को राजनैतिक व्यवस्था से ज्यादा अधिकार मिलने लगते हैं और देश का माहौल हिंसा से ग्रसित होने लगता है।

हमारे देश में बहुत विविधता है

भाषा की, पंथों की, संस्कृति की, खान-पान की, रहन-सहन की, विचारों की; यह भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और खूबसूरती भी। इसे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमारे सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक व्यवहार और नीतियों में इनके लिए स्थान हो, सम्मान हो। जब कुछ विचारों या समुदायों की पहचान को सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती है, तब अलगाव की भावना पनपने लगती है। इसका लाभ वे देश या संगठन उठाते हैं, जो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसकी एकता को तोड़ना चाहते हैं या इसके संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहते हैं। इसके उलट जब सभी समुदाय, भाषाएं, विचार और पंथ एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, तब सबसे प्रभावशाली स्थिति निर्मित होती है - एकता और अखंडता की। उस स्थिति में कोई भी भारत को विभाजित नहीं कर सकता है।

यह समझना जरूरी है कि यदि समाज में अपने पड़ोसी के प्रति, अन्य पंथों या भाषाओं या संस्कृतियों के प्रति सम्मान और सौहार्दता नहीं होगी (जिसे संविधान की उद्देशिका में बंधुता के रूप में प्रस्तुत किया गया है), तब तक एकता और अखंडता की स्थिति निर्मित हो सकेगी क्या? यह सोचिये!

आपको क्या लगता है कि अब जब दुनिया एक ग्लोबल मोहल्ले में बदल चुकी है तब हमें एकता और अखंडता की ज्यादा जरूरत है?

11. बंधुता

बंधुता का मतलब है एक दूसरे के प्रति स्नेह-प्रेम का भाव रखना और हर स्थिति में रिश्तों का सम्मान करना। धर्म या जाति या संपत्ति या किसी भी आधार पर दूसरे व्यक्ति या समुदाय के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा न करना। किसी भी स्थिति में उन लोगों की मदद करना, जो किसी संकट में फंसे हुए हैं या जो जरूरतमंद हैं।

बंधुता का भाव किसी एक व्यक्ति या समुदाय तक सीमित नहीं है। बंधुता का भाव एक सभ्य और मानवीय समाज की मूल शर्त है। इसमें यह माना जाता है कि यदि सभी व्यक्ति और समुदाय बंधुता का रस पी लें, तो देश में साम्प्रदायिक,

जातिवादी और वैमनस्यता के आधार पर होने वाली हिंसा खत्म हो जायेगी। और साथ ही अन्याय और शोषण की धार कमज़ोर पड़ जायेगी।

अपने देश में कई धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। यहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। हर अंचल में अलग-अलग तरह की संस्कृतियां और उत्सव-त्यौहार हैं।

इन विविधताओं को बनाए रखते हुए बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में 'बंधुता' के सिद्धांत को जोड़ा गया।

बंधुता का मतलब है कि हमारे धर्म, भाषाएं, संस्कृति, त्यौहार, पहनावा सब कुछ अलग-अलग हो सकते हैं, किन्तु सबके बीच प्रेम और सम्मान का रिश्ता होगा।

हम एक दूसरे के साथ इन भिन्नताओं के कारण भेदभाव नहीं करेंगे। हम एक दूसरे की आस्थाओं, गरिमा और विचार का सम्मान करेंगे।

वास्तव में बंधुता भारत को भीतर से मजबूत बनाने के लिए एक जरूरी तत्व है। यदि एक-दूसरे के प्रति सम्मान है, तो समस्याओं और दुखों से आसानी से पार पाया जा सकता है और अपनी संपत्ति-संपदा की रक्षा भी आसानी से की जा सकती है। यदि बंधुता नहीं है तो हमारी राजनैतिक व्यवस्था भी दूषित हो जायेगी और हम ऐसे प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने लगेंगे जो देश के, देश के लोगों के हितों की परवाह नहीं करेंगे और देश के भीतर छुआछूत, भेदभाव, असमानता को बनाए रखने वाली नीतियां बनाते रहेंगे और जनता चुप रहेगी क्योंकि उसमें एकता की शक्ति नहीं होगी।

बंधुता का अर्थ केवल इतने तक ही सीमित नहीं माना गया है कि देश के भीतर ही अमन-चैन, सहिष्णुता और सौहार्द के लिए कोशिशें की जायेंगी। यह भी माना जाता है कि दुनिया में कहीं भी साम्राज्यवाद, नस्लवाद, हिंसा, शोषण, अपमान या युद्ध हों, उनका असर दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। ये स्थितियां संक्रमण की तरह होती हैं; यदि दुनिया में एक जगह युद्ध हो तो वह अपना दायरा बढ़ाने लगता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान में केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा और विभिन्न देशों के बीच न्यायपूर्ण

और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है।

बंधुता को हम संविधान में दिए गये सांस्कृतिक अधिकारों के साथ जोड़ कर भी समझ सकते हैं। जब संविधान बन रहा था, तब बहुत चर्चा हुई कि अल्पसंख्यकों की पहचान और उनके अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे, उनको धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने और उसे बचाने, अपनी संस्कृति के मुताबिक़ व्यवहार करने का अवसर देने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए?

सोच यह था कि देश के ज्यादातर लोग, जिन्हें बहुसंख्यक कहा जा रहा था, जिस संस्कृति या भाषा का उपयोग करते हैं, वह तो संरक्षित होती रहेगी या उसके सामने संकट आने की कम ही आशंका होगी; लेकिन जिस संस्कृति या भाषा का व्यवहार कम लोग करते हैं, उसके अस्तित्व पर संकट रहेगा। हो सकता है कि बहुसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और जीवन शैली के बीच इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। इसीलिए संविधान में कहा गया कि ख़ास भाषा या संस्कृति वाले समूहों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार होगा।

जिन स्कूलों या शैक्षणिक संस्थाओं को सरकार से मदद मिलती है, वहां कोई भी नागरिक दाखिला ले सकता है। उसे अलग भाषा या धर्म की पहचान के आधार पर दाखिले से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि और सोच के आधार पर शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उसके संचालन का अधिकार है।

भारत में 24 अनुसूचित भाषाएं, 99 गैर-अधिसूचित भाषाएं और 1635 मातृ भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। यह अलग बात है कि हिंदी बोलने वाले 53 करोड़ लोग हैं और लेपचा, फ़ोम और राय भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या केवल एक-एक ही है। बंधुता और समता की भावना में लेपचा और फ़ोम भाषा बोलने वाले एक व्यक्ति का भी उतनी ही बराबरी, सम्मान और संरक्षण होता है, जितना कि 53 करोड़ हिंदी भाषा बोलने वालों को।

भारत में एक-दो-तीन त्यौहार या धार्मिक उत्सव नहीं मनाये जाते हैं, यहां मुख्य रूप से 39 उत्सव आयोजित होते हैं। उल्लेखनीय है कि यहां उत्सव का अर्थ

केवल धार्मिक आयोजन नहीं होता है। किसी फसल की कटाई, किसी मौसम की शुरुआत भी उत्सव की भूमिका बनाती है। ऐसा नहीं है कि एक धार्मिक समूह के भीतर मनाये जाने वाले त्यौहार को उस समुदाय के सभी लोग एक जैसी तन्मयता से मनाते हों। मसलन छठ का त्यौहार बिहार के हिन्दुओं में ज्यादा महत्व रखता है।

देश में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 10.43 करोड़ है और यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आदिवासी समुदाय का मतलब कोई एक आदिवासी समूह या समुदाय नहीं होता है। भारत में 645 आदिवासी समुदाय रहते हैं। गोंड आदिवासी समुदाय की जनसंख्या सबसे ज्यादा 1.2 करोड़ है, जबकि अंडमानी आदिवासी समुदाय की जनसंख्या केवल 44 और सेंटीनली समुदाय की जनसंख्या सबसे कम केवल 15 है।

क्या आप जानते हैं कि भारत के लोग कितने तरह के व्यवसाय/काम/उपक्रम से आजीविका कमाते हैं या श्रम करते हैं? श्रम मंत्रालय के अध्ययन के मुताबिक़ भारत के लोग 127 तरह के व्यवसायों/कामों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये मुख्य काम या उपक्रम हैं। इनके अलावा 37 अन्य छोटे उपक्रम और भी हैं। यदि बंधुता का मतलब है अलग-अलग तरह का काम करके जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के बीच अपनत्व और स्नेह का भाव होना। किसी काम को हेय या खराब नज़र से न देखना, काम के आधार पर किसी तरह की छुआछूत, भेदभाव या हिंसा न करना।

बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता और समता की अवधारणा को जांचने के यही सूचक हैं कि आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदाय के बीच मानवीय सम्मानजनक रिश्ता हो, गोंड और सेंटीनली आदिवासी को समान सम्मान मिले, किन्तु यदि सेंटीनली के अस्तित्व को बचाने की जरूरत है, तो उन्हें विशेष नीतिगत संरक्षण दिया जाए; यही समता का विचार है।

आपको लगता है कि बंधुता के बिना हम एक अच्छा और इंसानी समाज बन सकते हैं?

संविधान संवाद पुस्तिका शृंखला

- संविधान और हम
- भारतीय संविधान की विकास गाथा
- जीवन में संविधान
- भारत का संविधान – महत्वपूर्ण तथ्य और तर्क
- संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि
- संवैधानिक व्यवस्था : एक परिचय
- संविधान की रचना प्रक्रिया
- संविधान सभा में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र
- संविधान की उद्देशिका से परिचय
- संविधान : मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व
- संविधान और रियासतें
- संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता
- भारत के संविधान के रोचक किस्से
- भारत का राष्ट्रीय ध्वज : तिरंगे की कहानी
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और भारतीय संविधान
- गांधी का संविधान
- संविधान और आदिवासी
- स्वाधीनता, स्वतंत्रता और संविधान
- संविधान और समाजवाद तथा आर्थिक समानता
- संविधान और सांप्रदायिकता
- संविधान और चुनाव प्रणाली
- संविधान और न्यायपालिका
- संविधान और अल्पसंख्यक
- इंसानी व्यवहार में लोकतंत्र के होने का मतलब

पुस्तकें पाने के लिए संपर्क करें –
vikassamvadprakashan@gmail.com / 0755 - 4252789

'संविधान संवाद' शृंखला क्यों?

जब हम किसी विषय के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जब हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं तो फिर हर पहलू को टटोलने, जानने और समझने की आवश्यकता और ललक होती है।

भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को जानने की उत्कंठा के कारण ही 'विकास संवाद' ने 'संविधान संवाद शृंखला' आरंभ की है। इसका उद्देश्य संविधान की विकास गाथा को जानना, उसके उद्देश्य को समझना तथा तय लक्ष्यों की प्राप्ति में हम नागरिकों के कर्तव्यों के बोध की पहल करना है।

यह संवैधानिक मूल्यों के आत्मबोध से उन्हें आत्मसात करने तक की यात्रा है।

विकास संवाद

Azim Premji Foundation